वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड – 246123

Advertisement Notice No. UUHF/ D.R./ KVK-SS/ 01/2017 Date: 24-03-2017

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार की स्थापना राज्य विधानसभा के अधिनियम (उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2001 (उत्तराखण्ड अधिनियम 2011 की सं0 13) दिनांक 28.04.2011 तथा अधिसूचना सं0 732/ XIII-II/ 2011-12(02)/ 2011 दिनांक 26 सितम्बर, 2011 के द्वारा की गई है। विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रों (पौड़ी गढ़वाल एवं टिहरी गढ़वाल) जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित है, का संचालन किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान केन्द्रों (के.वी.के.) के निम्नवत् रिक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन संलग्नक प्रारूप के अनुसार आंमत्रित किये जाते हैं। आवेदन–पत्र प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग लिफाफों में जिसके ऊपर विज्ञापन संख्या, पद का नाम, वर्ग अंकित हो के साथ तक निम्न पते पर पहुंच जाने चाहिएः–

''कुलसचिव, परियोजना कार्यालय, शोध एवं प्रसार केन्द्र, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, निगम रोड, हरिपुर, सेलाकुई, देहरादून–248011, उत्तराखण्ड''

विज्ञापित पद पूर्व में भी विज्ञप्ति संख्या 01/2014/ के0वी0के0/ सपोर्टिंग स्टाफ दिनांक 20.01.2014 के अन्तर्गत विज्ञापित किये गये थे। विश्वविद्यालय की प्रबन्ध परिषद् ने अपनी तृतीय बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2016 में विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर पदों की सेवा नियमावली का अनुमोदन किया था। अतः पूर्व विज्ञापित पद कुछ संशोधित सेवा शर्तों एवम् अर्हताओं के साथ पुर्नविज्ञापित किये जा रहे हैं। **जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में विज्ञप्ति संख्या 01/2014/ के0वी0के0/ सपोर्टिंग स्टाफ दिनांक 20.01.2014 के सापेक्ष आवेदन किया गया था, वह अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर अपना अद्यतन आवेदन–पत्र बिना आवेदन शुल्क के पुनः प्रेषित कर सकते हैं।**

इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर, समस्त प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियों, जाति–प्रमाण पत्र (जो उत्तराखण्ड के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग हेतु उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त एवं निर्धारित प्रारूप में हो), पासपोर्ट आकार के फोटो (स्वप्रमाणित) तथा उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार के वित्त नियंत्रक, के पक्ष में पंजाब नेशनल बैंक, पौड़ी (कोड नं0 1370) में भुगतान योग्य रू0 1000/– सामान्य/अन्य पिछड़े वर्ग एवं रू0 500/– अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु, रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा आवेदन शुल्क, के साथ स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा अन्तिम तिथि **24.04.2017** तक भेजे जा सकते हैं। अन्य किसी माध्यम (हस्तगत, ई–मेल, फैक्स, कोरियर आदि) से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपूर्ण तथा अन्तिम तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन–पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

तालिकाः कृषि विज्ञान केन्द्रों के अन्तर्गत रिक्त पदों का नाम, वेतनमान, वर्ग एवं अनिवार्य अर्हताओं का विवरणः—

क्र0 सं0	पदनाम एवं आयु सीमा	वेतन मान/ ग्रेड पे	पद/ वर्ग	शैक्षिक अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
1	प्रोग्राम असिस्टैन्ट (लैब टैक्नीशियन)/ टी—4 आयु सीमा — 18 वर्ष से 42 वर्ष तक	9300—34800 / 4200	02 (01 अनु जाति, 01 अना0 महिला)	विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि/ औद्यानिकी/ वानिकी में स्नातक की उपाधि।
2	फार्म मैनेजर/ टी—4 आयु सीमा — 18 वर्ष से 42 वर्ष तक	9300—34800 / 4200	02 (01 अना0, 01 ओ0बी0सी0)	विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि/ औद्यानिकी/ वानिकी में स्नातक की उपाधि।
3	प्रोग्राम असिस्टैन्ट (कम्प्यूटर)/ टी—4 आयु सीमा — 18 वर्ष से 42 वर्ष तक	9300—34800 / 4200	02 (01 अना0, 01 अनु0 जाति)	विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लिकेशन्स में स्नातक की उपाधि।
4	असिस्टैन्ट/ टी—4 आयु सीमा — 18 वर्ष से 42 वर्ष तक	9300—34800 / 4200	02 (01 अना0, 01 अना0 महिला)	विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि एवं कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान।
5	आशुलिपिक ग्रेड—।।। आयु सीमा — 18 वर्ष से 42 वर्ष तक	5200—20200 / 2400	02 (01 अना0 महिला, 01 अनु0 जाति महिला)	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल उत्तीर्ण अथवा समकक्ष तथा कम्प्यूटर ज्ञान के साथ हिन्दी या अंग्रेजी शॉर्टहैण्ड का ज्ञान।
6	वाहन चालक/टी—। आयु सीमा — 18 वर्ष से 42 वर्ष तक	5200—20200 / 2000	02 (01 अना0, 01 ओ0बी0सी0)	**अनिवार्यः—** 1. विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल उत्तीर्ण अथवा समकक्ष। 2. सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी वैध ड्राईविंग लाईसेंस। **अधिमानी—** 1. सम्बन्धित क्षेत्र में आई.टी.आई. प्रमाण पत्र। **अथवा** 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में वाहन चालन का अनुभव। **अथवा** 3. मोटर मैकेनिक कार्य का अनुभव।

अनु जाति — अनुसूचित जाति, अनु0 जाति महिला — अनुसूचित जाति महिला, अना0 — अनाराक्षित, अना0 महिला — अनाराक्षित महिला, ओ0बी0सी0 — अन्य पिछड़ा वर्ग,

नोटः सहायक पद (तालिका क्र0 सं0—04) हेतु पूर्व में शैक्षिक योग्यता वाणिज्य विषय में ही स्नातक रखी गई थी, किन्तु अब स्नातक (किसी भी विषय में) कर दिया गया है। अतः उक्त पद हेतु वाणिज्य विषय में स्नातक व्यक्ति के साथ—साथ स्नातक (किसी भी विषय में) व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है।

शर्तें –

1. उपरोक्त पदों हेतु शैक्षिक अर्हतायें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के कार्यालय आदेश संख्या F.No. 23-1/ 2009-AE-I dated 08 November, 2010 के अनुसार हैं।
2. उपरोक्त रिक्त पदों पर आवेदन हेतु अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड का मूल निवासी तथा राज्य के किसी सेवायोजन कार्यालय में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से पूर्व वैध पंजीकरण होना आवश्यक है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र के साथ मूल निवास प्रमाण–पत्र तथा सेवायोजन कार्यालय पंजीकरण प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
3. यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे पृथक–पृथक पदों हेतु पृथक–पृथक शुल्क के साथ पृथक–पृथक आवेदन पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदन शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं किया जायेगा।
4. अधूरे आवेदन–पत्र तथा आवेदन–पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन–पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे। आवेदन स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित अपने मूल प्रारूप में होना चाहिए अन्यथा आवेदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा। आवेदन पत्र केवल पंजीकृत/ स्पीड डाक द्वारा ही स्वीकार्य होंगे। डाक द्वारा हुई देरी के लिये विश्वविद्यालय प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगा।
5. आवेदन पत्र में दर्शाये गये विवरण में बाद में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन का अनुरोध किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगा।
6. रिक्त पदों को भरे जाने अथवा न भरे जाने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित होगा।
7. आवेदन–पत्र के लिफाफे के ऊपर **विज्ञापन संख्या, पद का नाम, वर्ग** लिखा होना चाहिए।
8. भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नीति राज्य सरकार के नियमों के अनुरुप लागू होगी।
9. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र समाप्त किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित नियुक्ति भी स्वतः निरस्त मानी जायेगी। ऐसे पदस्थ व्यक्ति को विश्वविद्यालय में अन्य पद् पर समायोजन हेतु किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अधिकार नहीं होगा। किन्तु के.वी.के. से पदस्थ व्यक्ति विश्वविद्यालय में विज्ञापित रिक्त पदों के सापेक्ष नियमित नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकता है, जिस पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया अपनाते हुये मेरिट के आधार पर चयन किया जायेगा।
10. संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध के सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
11. **वैवाहिक प्रास्थितिः** पुरूष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हों, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगें।

    परन्तु, यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।
12. केन्द्रीय/ राज्य सरकार के विभाग/ प्रतिष्ठान में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र उचित माध्यम से भेजने होंगे, जिसमें यह उल्लेख हो कि अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक/ विजिलेंस मामला नहीं चल रहा है।
13. जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जायेंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/ अर्हता/ पात्रता के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।
14. अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार की सिफारिश करवाना उसकी अयोग्यता को दर्शाता है जिसके फलस्वरूप उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जायेगा
15. सभी विवाद न्यायिक क्षेत्र जिला–देहरादून, उतराखण्ड एवं उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के अधीन होंगे।

16. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि विज्ञापन सम्बन्धी सूचना के लिये नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाईट (www.uuhf.ac.in) को देखते रहें।
17. अभ्यर्थियों के चयन हेतु साक्षात्कार नहीं होगा किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा लिखित परीक्षा निम्नानुसार अपनायी जाएगी। जिसका विवरण निम्नवत् है–

पद के अनुसार लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रमः –

क्र0 सं0	पदनाम	लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम
1	प्रोग्राम असिस्टैन्ट (लैब टैक्नीशियन)/ टी–4	बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) के प्रश्नों की 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिन्दी, कृषि, औद्यानिकी एवं सम्बन्धित विषय से बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे।
2	फार्म मैनेजर/ टी–4	
3	प्रोग्राम असिस्टैन्ट (कम्प्यूटर)/ टी–4	बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) के प्रश्नों की 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिन्दी के साथ कम्प्यूटर से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे।
4	असिस्टैन्ट/ टी–4	बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) के प्रश्नों की 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे।
5	आशुलिपिक ग्रेड–III	बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) के प्रश्नों की 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न–पत्र होगा। **Professional Efficiency:** Shorthand test will be of qualifying nature. The candidates will be given one dictation test in English or in Hindi at 80 w.p.m. for 10 minutes. The candidates who opt to take the test in English will be required to transcribe the matter in 50 minutes on computer and the candidates who opt to take the test in Hindi will be required to transcribe the matter in 65 minutes on computer.
6	वाहन चालक/टी–I	बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) के प्रश्नों की 50 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें सामान्य ज्ञान एवम् यातायात नियमों से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे, तथा 50 अंकों की हल्के एवं भारी मोटर वाहनों को चलाने की एक प्रयोगात्मक परीक्षा होगी।

1. लिखित परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन (1/4 Negative Marking) पद्धति अपनाई जायेगी।
2. प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर होंगे, अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये सही उत्तर के लिए एक अंक तथा एक गलत उत्तर के लिये अभ्यर्थी द्वारा सही उत्तर के क्रम में प्राप्त अंकों में से 1/4 अंक दंड के रूप में काटा जायेगा।
3. यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा तथा इस स्थिति में अंकों की कटौती पूर्व निर्धारित प्रक्रियानुसार होगी।
4. यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं होगा।

5. अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात अपने साथ लें जाने की अनुमति दी जायेगी।
6. लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) की डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
7. लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरिष्ठता/ मेरिट निर्धारित की जायेगी। दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में पहले उनकी शैक्षिक योग्यता एवं तत्पश्चात् उनकी आयु के आधार पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को वरिष्ठता/ मेरिट सूची बनाकर चयनित किया जायेगा।
8. लिखित परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जायेगी।

कुलसचिव

आवेदन पत्र का प्रारूप

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विष्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड – 246123

Advertisement Notice No. UUHF/ D.R./ KVK-SS/ 01/2017 Date: 24-03-2017 **आवदेन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथिः 24.04.2017**	पंजीकरण संख्या (केवल कार्यालय हेतु)

नवीनतम पासपोर्ट आकार का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ चस्पा करें

आवेदन शुल्क का विवरणः

बैंक ड्राफ्ट संख्या एवं दिनांक	धनराशि	बैंक का नाम	शाखा का नाम

1. आवेदित पद का नाम : ....

2. आवेदक का पूरा नाम : (हिन्दी में) ....

   (अंग्रेजी में BLOCK LETTERS) ....

3. जन्म तिथि : ....

4. आयु (01.01.2017 को):........................ वर्ष .... माह .... दिन ....

5. पिता/ पति का नाम : ....

6. माता का नामः ....

7. पत्र व्यवहार का पता, दूरभाष तथा ई–मेल (यदि हो) : ....
....

8. स्थाई पता : ....

   ....

9. राष्ट्रीयता : ....

10. लिंग : ....

11. श्रेणी (अनारक्षित/एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 श्रेणी): ....

12. सेवायोजन कार्यालय का नाम जहाँ पंजीकरण है ....

पंजीकरण/ नवीनीकरण संख्या एवं दिनांक ....

पंजीकरण वैधता की तिथि ....

13. शैक्षिक योग्ताएंः

क्र0सं0	परीक्षा का नाम	बोर्ड/ विश्वविद्यालय	वर्ष	अंक प्रतिशत	प्रमुख विषय
1	हाईस्कूल				
2	इण्टरमीडिएट				
3	स्नातक				
4	स्नातकोत्तर				
5	अन्य				

14. सेवा विवरण, यदि हो (वर्तमान पद से प्रारंभ करते हुए)

क्र0 सं0	पद का नाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	सेवा अवधि		विभाग/संस्था का नाम	संक्षिप्त कार्य विवरण
				से	तक		

15. अंतिम आहरित वेतन (रु0/माह) : वेतन बैण्ड..मूल वेतन..

ग्रेड वेतन .... मंहगाई भत्ता .... अन्य भत्ते ....कुल आहरित वेतन ....

घोषणा

मैं...पुत्र / पुत्री / पत्नी...
एतद् द्वारा यह घोषणा करता/ करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई समस्त सूचनाऐं/ विवरण मेरे संज्ञान में पूर्ण एवं सत्य हैं। यदि मेरे द्वारा कोई भी तथ्य/ विवरण छुपाया जाता है अथवा असत्य पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांकः

प्रार्थी / प्रार्थिनी के हस्ताक्षर

अनापत्ति प्रमाण–पत्र (केवल कार्यरत कर्मियों के लिए)

1. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/ श्रीमती/ कु0 .... पुत्र/ पुत्री/ पत्नी ....जो कि इस संस्थान में दिनांक.............................. से कार्यरत हैं तथा वर्तमान में .. .. के पद पर वेतनमान... ग्रेड वेतन....................... में कार्यरत हैं।
2. आवेदक के विरुद्ध कोई भी विभागीय जाँच/ अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित/ विचाराधीन नहीं है।
3. चयनित होने पर आवेदक को अवमुक्त करने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक : ....

हस्ताक्षर

स्थान : ....

नाम : ....
पद : ....
दूरभाष : ....
(कार्यालय मोहर)